दिनांक - 18 -5-2024 को थाना सहसपुर में एक शातिर वाहन चोर को चोरी के वाहनो के साथ किया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के कुल 07 मोटरसाइकिल हुई बरामद

1-दिनांक 15-05-2024 को वादी अल्लाह रखा पुत्र नीतू, निवासी सभा वाला थाना सहसपुर के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 07/05/2024 को लक्ष्मीपुर से उनकी मोटरसाइकिल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसके सम्बन्ध मे थाना सहसपुर मे मु0अ0सं0 151/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 16/05/2024 को वादी अमन पुत्र बब्लेश, निवासी सभा वाला थाना सहसपुर देहरादून के द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 11/05/2024 सभा वाला तिराहे के पास से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सहसपुर पर मु0अ0स0 151/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

लगातार हुई वाहन चोरी की घटनाओं की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रभारी निरीक्षक सहसपुर को घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए थाना स्तर पर अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों के द्वारा घटनास्थलों का निरीक्षण करते हुए, घटना स्थल व उसके आसपास के स्थानो में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेजों का अवलोकन करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया, साथ ही सुरागरसी पतारसी करते हुए घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई,

पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासो के परिणामस्वरूप दिनांक 17-05-2024 को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत रामपुर मे चैकिंग के दौरान घटना में शामिल अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र जोगेन्दर निवासी ग्राम गंगदासपुर जट थाना देवबंद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश को चोरी की गई बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल संख्या UK07Z-6801 के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा उक्त मोटर साइकिल को दिनांक 11-05-24 को सहसपुर तिराहे से चोरी किया जाना स्वीकार किया गया।

अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसकी जेब से कुछ अन्य दो पहिया वाहनो की चाबियां बरामद हुई, जिनके सम्बंध में सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा उक्त चाबियो का उसके द्वारा अलग-अलग स्थानो से चोरी किये गये दो पहिया वाहनो की होना बताया गया, जिन्हें उसके द्वारा सहसपुर क्षेत्र में छिपाने की बात बतायी गयी , जिस पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर शंकरपुर मेंटल हास्पिटल वाली रोड से आगे बन्द पडी पटाखा फैक्ट्री के पास सोरणा नदी के पुश्ते की आड में झाडियों मे छिपाई गई चोरी की 06 अन्य मोटरसाइकिलो को बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस से बचने के लिये चोरी के कुछ वाहनों के नम्बर प्लेटो को बदलते हुए उन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाई गयी थी, जिसके आधार पर अभियोग में धारा 411, 420, 465 भादवि की बढोतरी की गयी। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त :-

शिवम कुमार पुत्र जोगेन्दर निवासी ग्राम गंगदासपुर जट थाना देवबंद जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र-19 वर्ष

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मूल रूप से सहारनपुर उत्तरप्रदेश का रहने वाला है तथा सेलाकुई क्षेत्र में इण्डस्ट्री एरिया के पास अपने गांव के एक युवक के साथ किराये पर रहता है तथा देहरादून में ध्याडी मजदूरी पर पेंटर का कार्य करता है, परन्तु लगातार ध्याडी मजदूरी का काम न मिलने व जल्दी पैसे कमाने के लालच में उसके द्वारा वाहन चोरी की घटनाओ को अजांम दिया गया था, अभियुक्त अक्सर सुनसान स्थानो पर खडे वाहनो की रैकी करता है तथा मौका देखकर वाहन चोरी की घटनाओ को अजांम देता है। अभियुक्त द्वारा चोरी के सभी वाहनो को सुनसान इलाके में छिपाकर रखा गया था, जिन्हें वह सहारनपुर ले जाकर बेचने की फिराक में था।

बरामदगी:-

(1) बजाज प्लेटिना मो0सा0, संख्या UK07Z-6801 सम्वंधित मु0अ0स0- 151/24 धारा 379 भादवि, थाना सहसपुर जनपद देहरादून

(2) हीरो स्पलेण्डर मो0सा0, संख्या- UK17F-2924 सम्वंधित मु0अ0स0- 150/24 धारा -379 भादवि थाना सहसपुर जनपद देहरादून

(3) हीरो स्पलेण्डर मो0सा0, संख्या-UK07-BS9981 सम्वंधित मु0अ0स0- 106/24 धारा -379 भादवि थाना प्रेमनगर जनपद देहरादून

(4) हीरो स्पलेण्डर मो0सा0, बिना नम्बर प्लेट, रंग काला

(5) हीरो स्पलेण्डर मो0सा0, बिना नम्बर प्लेट, रंग काला

(6) हीरो स्पलेण्डर मो0सा0,स0-HP18B-0874

(7) हीरो स्पलेण्डर मो0सा0, बिना नम्बर प्लेट, रंग काला

पुलिस टीम :-

1- नि0 मुकेश त्यागी, प्रभारी थाना सहसपुर

2- व0उ0नि0 भुवन चन्द्र पुजारी, थाना सहसपुर

3- उ0नि0 अमित कुमार

4-अपर उ0नि0 मदन सिंह बिष्ट

5-हे0कानि 333 जितेन्द्र कुमार

6-हे0कानि 416 नवीन कुमार

7- कानि0 1428 संदीप कुमार

8-कानि0 1711 श्रीकांत मलिक

9- कानि0 जितेन्द्र (एसओजी)